न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम अनूपगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री पवन कुमार आरएएस

प्रकरण सं. 03/2018

बचनसिंह पुत्र श्री खजानसिंह जाति रायसिख निवारी 26 ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थी

प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

आदेश दिनांक : 20/12/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दादा अर्जनसिंह पुत्र गुरदत्तसिंह के नाम से वाके चक 2 बीएसएम वर्तमान चक 28 एपीडी का मु0नं0 320/410 के किला नं0 1 का 18 बिस्वा, 2ता9 सालम, 10 का 18 बिस्वा, 11 का 18 बिस्वा, 12ता16 सालम इस प्रकार कुल 15 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि जो कि पूर्व में प्रार्थी के दादा अर्जनसिंह पुत्र गुरदत्त सिंह के नाम से भूमिहीनों में आंवटित हुई थी। लेकिन कालान्तर में उपनिवेशन विभाग का कार्याकाल समाप्त होने पर उक्त कृषि भूमि का रिकार्ड राजस्व रिकार्ड राजस्व विभाग को सौपा गया और जब राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) चक 28 एपीडी–ए के सम्बन्ध में तैयार की गई तो उस समय जमाबन्दी के कॉलम नं0 4 मे जो प्रविष्ठि खातेदार और गैरखातेदार सम्बन्धी दर्ज की गई तो उसमें सहवन से प्रार्थी के दादा अर्जनसिंह के पिता के सही नाम गुरदत्त सिंह के बजाय गुरदयालसिंह दर्ज कर दिया गया तदनुसार जमाबन्दी में प्रार्थी के दादा का नाम अर्जनसिंह पुत्र गुरदयालसिंह चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के दादा अर्जनसिंह पुत्र गुरदयालसिंह के स्थान पर सही एंव वास्तविक नाम अर्जनसिंह पुत्र गुरदत्त सिंह दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी की और से राजपेरौकार तहसीलदार अनूपगढ़ उपस्थित आये। अप्रार्थी की ओर राज पैरोकार द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि चक 28 एपीडी–ए पत्थर नं0 320/410 जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 खाता संख्या 60 अनुसार अर्जुनसिंह पुत्र गुरदयालसिंह जाति रायसिख किला नं0 1ता16 का 3.972 हैक्टर कमाण्ड रकबा गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अर्जुनसिंह फौत हो चुका है। उपनिवेशन रिकार्ड व पटवार रिकार्ड में अर्जुनसिंह के पिता का नाम गुरदयाल सिंह आदिनांक

Scanned by CamScanner

तक रिकार्ड जमाबन्दी चला आ रहा है। प्रार्थी मुताबिक आवंटन आदेश पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गुरदित सिंह करवाना चाहते है। अतः आवंटन आदेश मुताबिक प्रार्थी के पिता का नाम सही किया जाना उचित है।

उभय पक्षकारंण की बहस सुनी गई पत्रावली में दर्ज तथ्यो एवं संलग्न दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि मुताबिक आवंटन पत्रावली मिसल नम्बर 1945/1973 निर्णय दिनांक 25.02.1974 के प्रार्थी के दादा अर्जनसिंह पुत्र गुरदत्तसिंह के नाम से वाके चक 2 बीएसएम (वर्तमान चक 28 एपीडी) का मु0नं0 320/410 के किला नं0 1 का 18 बिस्वा, 2ता9 सालम, 10 का 18 बिस्वा, 11 का 18 बिस्वा, 12ता16 सालम इस प्रकार कुल 15 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि बतौर भूमिहीनों में आंवटित हुई थी। लेकिन कालान्तर में उपनिवेशन विभाग का कार्याकाल समाप्त होने पर उक्त कृषि भूमि का रिकार्ड राजस्व रिकार्ड राजस्व विभाग को सौपा गया और जब राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) चक 28 एपीडी–ए के सम्बन्ध में तैयार की गई तो उस समय जमाबन्दी के कॉलम नं0 4 मे जो प्रविष्ठि खातेदार और गैरखातेदार सम्बन्धी दर्ज की गई तो उसमें सहवन से प्रार्थी के दादा अर्जनसिंह के पिता के सही नाम गुरदत्त सिंह के बजाय गुरदयालसिंह दर्ज कर दिया गया तदनुसार जमाबन्दी में प्रार्थी के दादा का नांम अर्जनसिंह पुत्र गुरदयालसिंह चला आ रहा है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 28 एपीडी–ए तहसील अनूपगढ़ पत्थर सं. 320/410 के किला न0 1ता16 की 3.972 हैक्टर कृषि के राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में प्रार्थी के दादा अर्जन सिंह के पिता के गलत नाम गुरदयाल सिंह के स्थान पर सही एंव वास्तविक नाम गुरदत्त सिंह दुरूस्त किया जावे। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned by CamScanner